तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.24	आज यह पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित। बहस सुनी नहीं वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5.06.24 को पेश हो। [signature]	
5.06.24	आज यह पत्रावली पेश हुई मुताबिक फैसलानामा उप0। अपील अपीलान्ट खारिज [illegible] की जाती है [illegible] नियमानुसार जारी हो (अधी0 न्या0 की पत्रावली [illegible] वापस हो बाद तकमील आवश्यक दाखिल दफ्तर हो। [signature] (सचिन यादव) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 3/23 दायर दिनांक: 21.07.23

जीसीएमएस नं. 2023/230

बत्ती देवी पुत्री बहादुर पत्नि नैमीचन्द जाति मीना नि. निठार, तह. भुसावर जिला भरतपुर हाल नि. जौंल तह. टोडामीम जिला करौली राज.

—अपीलाण्ट

बनाम

1.ग्रा.पं. निठार पं.स. भुसावर जिला भरतपुर जरिये सरपंच ग्रा.पं. निठार, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

2.बाबूलाल, 3.नरेश, 4.जगराम पिसरान भोले जातियान मीना नि. निठार, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध
नामा. सं. 1228 दिनांक 14.08.1986
ग्रा.पं. निठार पं.स. भुसावर

अधिवक्ता— 1.श्री नवीन कुमार पाण्डेय —अपीलाण्ट
2.श्री खेमसिंह चौधरी —रेस्पो.—2,3,4
3.श्री पप्पूराम —रेस्पो.—1

निर्णय दिनांक 05.06.2024

अपील अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध नामा. सं. 1228 दिनांक 14.08.1986 ग्रा.पं. निठार, पं.स. भुसावर पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 807 रकबा 1.05, 896 रकबा 0.12, 170 रकबा 4.13, 172 रकबा 8.08, 1087 रकबा 0.08, 1124 रकबा 2.06, 1118 रकबा 0.04 कुल किता 7 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम निठार तह. भुसावर में स्थित है। अपीलाण्ट का पिता बहादुर ख.नं. 896, 807 के सम्पूर्ण हिस्से का एवं शेष आराजी में निष्क हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी था उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट अपने पिता के स्थान पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही हूँ। जिसके नवीन ख.नं. 278 रकबा 1.36 हैक्टे., ख.नं. 1706 रकबा 0.33 हैक्टे., ख.नं. 1697 रकबा 0.02 हैक्टे., ख.नं. 1226 रकबा 0.20 हैक्टे., ख.नं. 1357 रकबा 0.10 हैक्टे., ख.नं. 1645 रकबा 0.06 हैक्टे. अपीलांट बहादुर ही एकमात्र अकेली वारिस है।

मद नंबर 01 में वर्णित आराजीयात अपीलांट की पैतृक आराजी है, जिसका सजरा निम्न प्रकार है:— कजौड़्या (मृतक) — बहादुर (मृतक) — बत्ती देवी
अपीलांट के अलावा कजौड़्या व बहादुर का अन्य कोई वारिस नहीं है।

अपील अपीलांट निम्न आधारों पर समयावधि में प्रस्तुत है:—

(अ) सरपंच ग्रा. पं. निठार का नामा. सं. 1228 गैर नियम तथा कानून के खिलाफ है नकल नामा. अपील के साथ पेश है।

(ब) नामा. सं. 1228 में हल्का पटवारी द्वारा नामा. रजिस्टर नं. 07 में बहादुर का नाम अंकित करते हुए कॉलम सं. 9 में गैर नियम व विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट के बजाय रेस्पो. सं. 2 लगायत 4 के पिता भोला पुत्र कजौड़्या जाति सा.देह खातेदार गलत दर्ज कर दिया। जबकि रेस्पो. के पिता की वल्दियत भी नत्थी है। फर्जी तरीके से रेस्पो. के पिता भोले ने अपीलांट की अपनी वल्दियत बहादुर दर्ज करा कर नामा. स्वीकृत करवाने हेतु ग्रा.पं. निठार को प्रस्तुत किया। ग्रा.पं. निठार द्वारा अवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलांट के स्थान पर रेस्पो. सं. 2 लगायत 4 के पिता की गलत वल्दियत दर्ज कर उसके नाम नामा. दर्ज करने के गैर नियम आदेश पारित किये है। जो अवैधानिक होने की वजह से निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

(स) अपीलांट बहादुर की एक मात्र वारिस है। बहादुर भी कजौड्या का एक मात्र वारिस था। लेकिन रेस्पो. द्वारा आपस में षडयंत्र कर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर रेस्पो. सं. 2 लगायत 4 के पिता ने अपनी वल्दियत बहादुर दर्ज करवाकर आक्षेपित नामा. अपने नाम स्वीकृत करवा लिया है। जबकि नकल जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 के खाता संख्या 255 में अपनी स्वयं की निजी खातेदारी में रेस्पो. सं. 2 लगायत 4 के पिता ने अपनी वल्दियत बहादुर दर्ज करवाकर आक्षेपित नामा. अपने नाम स्वीकृत करवा लिया है। जबकि नकल जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 के खाता सं. 255 में अपनी स्वयं की निजी खातेदारी में रेस्पो. सं. 2 लगायत 4 के पिता का नाम भोले बल्द नत्थी दर्ज है। तथा खाता संख्या 135 में अपीलांट के पिता के साथ राजस्व कर्मचारियों से मिलकर संपूर्ण खातेदारी दर्ज करवा ली है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना अवैधानिक तरीके से नामा. रेस्पो. सं. 2 लगायत 4 के पिता के गलत वल्दियत दर्ज कर स्वीकृत कर दिया है। जो अवैधानिक होने की वजह से निरस्तनीय योग्य है।

अतः अपीलांट द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार कर नामा. सं. 1228 दिनांक 14.08.1986 ग्रा.पं. निठार निरस्त फरमाया जावें।

हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर रेस्पो. की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पो. संख्या 1 की ओर से वकालतनामा व जवाब श्री पप्पूराम ए0 द्वारा पेश किया गया तथा रेस्पो. संख्या 2,3,4 की ओर से वकालतनामा श्री खैमसिंह चौधरी अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। उन्होंने जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं जवाब ग्रा.पं. निठार द्वारा भी अवगत कराया गया है कि नामा. संख्या 1228 जो लावल्द फौत दिखाया गया है व नियम विरूद्ध खोला गया। तथा इसका अन्य भाई बताकर गलत खोला गया है, जो नियम विरूद्ध है। बहादुर पुत्र कजौड्या के इकलौती वारिस मात्र बत्ती देवी है।

अतः उपरोक्त दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं जवाब ग्राम पंचायत के आधार पर हम अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विवादित नामा. संख्या 1228 दिनांक 14.08.1986 ग्राम पंचायत निठार, पं.स. भुसावर निरस्त किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को इस आदेश के साथ प्रति संलग्न प्रेषित की जाती है कि पुनः पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर बाद जाँच नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)